High Court Bar Association, Allahabad

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद

President :
Indra Kumar Chaturvedi 9415235376

Senior Vice President :
Rabindra Nath Ojha 9839489176

Vice President :
Sudhir Dixit 9415800942
Afzal Ahmed Khan Durrani 9838780220 (Afzal Durrani)
Munna Yadav 9451368036
Shri Ram Pandey 9793107741
Anand Mohan Pandey 9452596912

Hony Secretary :
Avinash Chandra Tiwari 9335140560

Jt. Secretary (Admin) :
Prashant Singh 9452228635

Jt. Secretary (Library) :
Sanjeev Kumar Singh 9918380038

Jt. Secretary (Press) :
Santosh Kumar Singh 7897452367

Jt. Secretary (Women) :
Km. Kanchan Singh 9161219101

Treasurer :
Raj Kumar Singh 9455688573

Member of G.C. :
Archana Singh 9473751544
Balwant Singh 9453597981
Tripurari Pal 8181835538
Abhijeet Kumar Pandey 9696844551
Pratibha Vohra (Smt.) 9454077530
Uttam Kumar Banerji 9005359991
Dharam Raj Pal 9450594935
Vivek Pandey 9453089808
Nabi Ullah 9919279133
Harish Pratap Singh (Sonu) 9450406292
Akhilesh Kumar Dwivedi 9956141375
Prashant Singh (Som) 9451111879
Om Anand 9452274022
Hira Lal 9451587524
Ajay Kumar Singh 9450587291
Avinash Tiwari 9453233050

Ref. No. H.C.B.A./.......... Dated.......... 05.01.2019

प्रकाशनार्थ

इलाहाबाद। आज दिनांक 05.01.2019 को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद के लाइब्रेरी हाल में **"अधिवक्ता संरक्षण बिल"** लागू करने के व उनकी समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश भर के अध्यक्ष/सचिव की एक आम सभा प्रातः 10:00 बजे आहूत की गई। **सभा की अध्यक्षता बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री इन्द्र कुमार चतुर्वेदी ने की** तथा संचालन संयुक्त सचिव प्रशासन प्रशान्त सिंह द्वारा किया गया। **सभा का नेतृत्व श्री वी०सी० मिश्र, वरिष्ठ अधिवक्ता, चेयरमैन एल्डर्स कमेटी/मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा किया गया।** कार्यक्रम के आरम्भ में एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष तथा प्रदेश भर से आए हुए अध्यक्ष/सचिव एवं अन्य पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया।

एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन श्री वी०सी० मिश्र ने अपने उद्बोधन में प्रदेश भर से आए हुए पदाधिकारियों का स्वागत/अभिनन्दन एवं आभार व्यक्त करते हुए अधिवक्ताओं की योग्यता तथा न्याय-प्रणाली के विषय में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि संरक्षण की आवश्यकता दुर्बल को होती है जबकि अधिवक्ता स्वयं में शक्तिशाली है। अधिवक्ताओं को संरक्षण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल साक्ष्य के आधार पर किए जाने वाले न्याय से वास्तविक न्याय हो पाना सम्भव नहीं है। न्याय-प्रणाली में बदलाव होना चाहिए। न्यायपालिका जनता को न्याय दिलाने वाली संस्था है और इससे समाज के हर व्यक्ति को समान न्याय मिलना चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया में सुधार लाने हेतु बार को मजबूत बनाना पड़ेगा। अधिवक्ता को अपनी शक्ति पहचाननी चाहिए। अधिवक्ता का अस्तित्व बार से है। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। बार और बेंच का अटूट रिश्ता है, एक दूसरे के सहयोग के बिना दोनों अधूरे हैं।

श्री हरीश त्रिपाठी, अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, सीतापुर ने अपने उद्बोधन में कहा कि बड़े सौभाग्य का विषय है कि श्री वी०सी० मिश्र का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और बार एसोसिएशन द्वारा इस आयोजन हेतु आभार व्यक्त किया। उन्होंने अधिवक्ता संरक्षण बिल पारित कराए जाने हेतु अपना मत दिया। **श्री उमाशंकर तिवारी, अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, इलाहाबाद** ने अपने सम्बोधन में कहा कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा की दृष्टि से अधिवक्ता संरक्षण बिल पारित होना आवश्यक है। अधिवक्ताओं को एकजुट होना चाहिए और अपनी समस्याओं का निदान करने हेतु आवश्यक कदम उठाने चाहिए। श्री तिवारी ने अधिवक्ताओं के लिए पेंशन सुविधा लागू कराए जाने की मांग की।

इसके अतिरिक्त सर्वश्री हीरा लाल पाण्डेय, दिनेश मणि त्रिपाठी, बृजलाल पाठक, सौरभ यादव, राम कृपाल शुक्ला, विश्वनाथ कटियार, रमेश पाण्डेय, रामनारायण मिश्र, अध्यक्षगण जिला अधिवक्ता संघ, मिर्जापुर, कुण्डा, जौनपुर, मैनपुरी, गोण्डा, कानपुर देहात, कानपुर नगर व सचिव, जिला अधिवक्ता संघ, सीतापुर व अन्य बार एसोसिएशन के अधिवक्ता प्रतिनिधियों द्वारा अपने-अपने सुझाव एवं विचार साझा किए और अधिवक्ता संरक्षण बिल पारित कराए जाने हेतु अपनी संस्तुति प्रदान करते हुए अधिवक्ताओं की मूलभूत समस्याओं जैसे कि बैठने हेतु चैम्बर की व्यवस्था, कुर्सियों की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, पीने योग्य पानी की व्यवस्था इत्यादि से अवगत कराया तथा अधिवक्ता संरक्षण बिल लागू कराये जाने हेतु अध्यक्ष/महासचिव से अनुरोध किया कि उक्त सभा के माध्यम से साझा किए गये मूलभूत सुविधाओं के संदर्भ में माननीय पूर्ण पीठ के समक्ष रखकर उनका त्वरित निराकरण कराया जाय जिससे न्यायिक कार्य सुविधाओं के आभाव में बाधित न हो सके। आम तौर पर की जाने वाली हड़ताल के संदर्भ में भी विचार विमर्श किया गया तथा माननीय पूर्ण पीठ के समक्ष हड़ताल कम किए जाने के सुझाव को भी प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश से आये हुए अधिवक्ताओं ने एक स्वर से मा० मुख्य न्यायमूर्ति के अधिवक्ता हित के दृष्टिकोण का संज्ञान लेते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया तथा आभार व्यक्त करते हुए यह विश्वास दिलाया कि मा० मुख्य न्यायमूर्ति की संरक्षकता में अधिवक्ता हित हमेशा संरक्षित रहेगा।

महासचिव श्री अविनाश चन्द्र तिवारी ने अपने सम्बोधन में प्रदेश से आए हुए सभी प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया और मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 07.12.2018 में दिए गए निर्देशों से आम सभा को अवगत कराया तथा इस दिशा में समुचित कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया।

अध्यक्ष श्री इन्द्र कुमार चतुर्वेदी ने अपने सम्बोधन में कहा कि समस्याएँ पूरे प्रदेश में एक समान हैं। उन्होंने कहा कि 7 न्यायमूर्तिगण की खण्डपीठ अधिवक्ताओं का ह्रास करने के लिए किया गया था परन्तु माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के प्रयास से सीतापुर प्रकरण पर संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका में इस प्रकार का निर्देश पारित हुआ जिससे जिला न्यायालयों के अधिवक्ताओं की समस्याओं का निराकरण हो सके। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि **अधिवक्ता संरक्षण बिल पारित कराए जाने हेतु हर सम्भव प्रयास किया जाएगा और सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए सम्पूर्ण प्रदेश से आए हुए प्रतिनिधियों ने एक स्वर से प्रस्ताव पारित किया गया कि यदि दिनांक 14.03.2019 तक उक्त अधिवक्ता संरक्षण बिल जैसा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पारित किया गया है, वैसा ही उत्तर प्रदेश सरकार पारित कर लागू नहीं करती है तो पूरे प्रदेश के अधिवक्ता दि० 15.03.2019 को न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे।** अध्यक्ष महोदय ने कहा कि कन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग को रेगुलर कन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग व न्यायालय की कार्यवाही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चलाई जानी चाहिए तभी फर्जी कान्टेम्प्ट प्रोसीडिंग में कमी आयेगी। अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सभा का समापन किया।

उक्त अवसर पर सर्वश्री आर०एन०ओझा (वरिष्ठ उपाध्यक्ष), सुधीर दीक्षित, मुन्ना यादव, श्रीराम पाण्डेय, आनन्द मोहन पाण्डेय (उपाध्यक्षगण), महासचिव श्री अविनाश चन्द्र तिवारी, संयुक्त सचिव प्रशासन श्री प्रशान्त सिंह, संयुक्त सचिव पुस्तकालय श्री संजीव कुमार सिंह, संयुक्त सचिव प्रेस श्री संतोष कुमार सिंह, संयुक्त सचिव महिला कंचन सिंह, कोषाध्यक्ष राजकुमार सिंह, अर्चना सिंह, बलवन्त सिंह, अभिजीत कुमार पाण्डेय, उत्तम कुमार बनर्जी, धर्मराज पाल, नबी उल्लाह, प्रशान्त सिंह (सोम) तथा ओम आनन्द कार्यकारिणी सदस्यगण, उपेन्द्र सिंह (लोहा सिंह) मंगला प्रसाद त्रिपाठी सहित सैकड़ों की संख्या में अधिवक्तागण उपस्थित रहे।

(अविनाश चन्द्र तिवारी)
महासचिव

A. C. Tiwari
Hony. Secretary
High Court Bar Association
Allahabad

Website : http://www.hcbaallahabad.in / Email : highcourtbarald@gmail.com
Phone : 0532-242 1942, Fax : 0532-242 0404